भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3222

13.03.2020 को उत्तर के लिए

वृक्षारोपण

3222. कुमारी चन्द्राणी मुर्मुः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार नदी, नालों आदि के तटबंधों के दोनों ओर वृक्षारोपण करके नदी, नालों आदि को हरित बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) राष्ट्रीय वन नीति (एनएफसी), 1988 नदियों, जल-धाराओं और नहरों के साथ-साथ भूमि क्षेत्रों सहित भिन्न्-भिन्न प्रकार की भूमि क्षेत्रों पर वृक्षारोपण करने को प्रोत्साहित करती है।

देश में वन और वृक्षावरण में और वृद्धि और सुधार करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने विभिन्न पहले शुरू की हैं। इनमें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें जैसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और वन्यजीव वास-स्थलों का विकास शामिल है। प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि नियम, 2018 में सहायित प्राकृतिक पुनरूदभव, कृत्रिम पुनरूदभव और वनों में वनवर्धन प्रचालन शुरू करने के लिए प्रावधान शामिल है, जो वनावरण में वृद्धि में योगदान देते हैं। वनेत्तर क्षेत्रों में कार्यकलापों सहित विभिन्न कार्यक्रमों/वित्तीय स्रोतों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की स्कीमों/योजनाओं के तहत और कॉरपोरेट निकायों, सार्वजनिक संस्थानों, सिविल सोसाइटी, एनजीओ द्वारा भी वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यक्रम भी शुरू जाते हैं।

जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) नममि गंगे कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है जिसमें गंगा नदी और पांच राज्यों, अर्थात् उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम

बंगाल में इसकी सहायक नदियों के तटों के साथ-साथ पौध रोपण करना है। वर्ष 2016 और 2020 की अवधि के दौरान अभी तक कार्यक्रम के तहत 26,764 हेक्टेयर पर पौध रोपण किया गया है और एनएमसीजी ने उसके लिए 337.22 करोड़ रूपये प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 13 प्रमुख भारतीय नदियों के नदी भूदृश्य के साथ-साथ पौध रोपण मॉडेल, मृदा अपरदन में कमी करने के उपायों, वनों की गुणवत्ता में सुधार करने, मृदा नमी व्यवस्था में अभिवृद्धि करने, जल धाराओं आदि में पानी की सतत आपूर्ति का संवर्धन करने और नदी बेसिनों के नवीकरण हेतु वानिकी माध्यम हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए हस्तक्षेप करने और सुझाव देने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए आईसीएफआरई को एक तकनीकी अध्ययन सौंपा है। इस अध्ययन में व्यास, चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज, लूनी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियां शामिल हैं।

****